न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाडा

बजरिये श्री सी.एल.शर्मा आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	52/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00131
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	08.09.2020
प्रकरण निर्णय होने की दिनांक	15.03.2021

अनवान

1–सीताराम शर्मा पि.देबीलाल शर्मा नि.झबरकिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा — प्रार्थी

बनाम

1.श्यामलाल पुत्र देवीलाल शर्मा नि.झबरकिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2.कैलाश पुत्र देवीलाल शर्मा नि.झबरकिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.लेहरी पत्नि देवीलाल शर्मा नि.झबरकिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा — अप्रार्थी

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थी	श्री विजयकुमार टेलर
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

(1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नांकित कृषि भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगणों के नाम शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है –

ग्राम झबरकिया पटवार हल्का मोतीपुर तहसील आसीन्द संवत 2074-77

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
283	103	0.07	105	0.23	1066	0.21
	1066/1	0.02	1077	[illegible]	1089	0.14
	1115	0.29	112	[illegible]	[illegible]	0.11
	94	0.17				
कुल किता 10					कुल रकबा 1.39	
239	1501	0.54				
कुल किता 1		0.54				
240	102	0.04	109	0.30		
कुल किता 2		कुल रकबा 0.34				

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

ग्राम माताजी का खेड़ा पटवार हल्का आमेसर तहसील आसीन्द संवत 2073-76

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
116	1000	0.30	1001	0.33	1002	0.50
	1003	0.29	1005	0.03	1006	0.27
	995	0.92	996	0.29	997	0.36
	998	0.06	999	0.05		
कुल किता 11				कुल रकबा 3.40		
2	1004	0.02				
कुल किता 1		रकबा 0.02				

(2) प्रार्थी काम-धंधे की वजह से अपने पैतृक गांव में कम ही निवास करता है जिसके फलस्वरूप प्रार्थी के पिता देवीलाल की मृत्यु दिनांक 18.12.2014 को होने के पश्चात विरासतीय इन्तकाल खोलते समय प्रार्थी के वास्तविक तथा सही नाम सीताराम के बजाय घर –परिवार में बोलता नाम सत्यनारायण दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात इन्तकाल के अनुसार ही राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम सीताराम के बजाय सत्यनारायण दर्ज कर दिया गया जो कि आज दिन तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर अशुद्ध चला आ रहा है।

(3) राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से प्रार्थी को कई सरकारी योजनाओ जैसे बैंक ऋण,किसान क्रेडिट कार्ड आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्यों कि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड,आधार-कार्ड,पहचान पत्र अंकतालिका आदि में प्रार्थी का नाम सीताराम दर्ज है। प्रार्थी सीताराम का ही घर पर बोलता नाम सत्यनारायण है। अतः प्रार्थी अपनी उक्त आराजियात में अपना नाम सुधार करवाकर सत्यनारायण पुत्र देवीलाल के बजाय सीताराम पुत्र देवीलाल दर्ज करवाये जाने का अधिकारी है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र देवीलाल के बजाय सीताराम पुत्र देवीलाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

(5) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर कथन किया कि प्रार्थी सीताराम मेरा छोटा भाई है जिसका घर पर बोलता नाम सत्यनारायण है तथा सभी दस्तावेजों में उनका नाम सीताराम है। राजस्व रेकार्ड में नाम सुधारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी पूर्ण सहमति है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर उनके उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये जाते है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैराकार सरकार ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में कोई राज हित नहीं है एसे में प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:14 IST
Reason: SelfAttested

(6) प्रकरण में वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर एक पक्षीय बहस प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में सत्यनारायण पि.देवीलाल के बजाय सीताराम पि.देवीलाल दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

(7) बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों / प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उनके राशन कार्ड की प्रति / फोटो पहचान पत्र की प्रति / आधार कार्ड

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसींद

की प्रति का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का सही नाम सीताराम पि.देवीलाल होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है -

◀ क्रियात्मक आदेश ▶

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि में दर्ज प्रार्थी के नाम सत्यनारायण पि.देवीलाल के बजाय संशोधन किया जाकर सीताराम पि.देवीलाल के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है –

ग्राम झबरकिया पटवार हल्का मोतीपुर तहसील आसीन्द संवत 2074-77

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
283	103	0.07	105	0.23	1066	0.21
	1066/1	0.02	1077	0.04	1089	0.14
	1115	0.29	112	0.11	71	0.11
	94	0.17				
कुल किता 10				कुल रकबा 1.39		
239	1501	0.54				
कुल किता 1		0.54				
240	102	0.04	109	0.30		
कुल किता 2		कुल रकबा 0.34				

ग्राम माताजी का खेड़ा पटवार हल्का आमेसर तहसील आसीन्द संवत 2073-76

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
116	1000	0.30	1001	0.33	1002	0.50
	1003	0.29	1005	0.03	1006	0.27
	995	0.92	996	0.29	997	0.36
	998	0.06	999	0.05		
कुल किता 11					कुल रकबा 3.40	
2	1004	0.02				
कुल किता 1		रकबा 0.02				

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:14 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से की जावें एंव दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021 / / 120 दिनांक १६ 3/२१

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:14 IST
Reason: SelfAttested